संख्या-42/2020/2728/77-6-2020-4(बजट)/16टीसी

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,उद्योग,
उद्योग निदेशालय
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रू.41,93,000.00 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0वित्तीय निगम के पत्र संख्या-16/विनि/वियोवि/2020-2021 दिनांक 11.09.2020, एवं पत्र संख्या-369/विनि/वियोवि/2020-2021 दिनांक 10-04-2020 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष योजनान्तर्गत पात्र 01 इकाई हेतु धनराशि रू0 41.93 लाख (रू0 इकतालिस लाख तिरानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का विवरण निम्नवत् हैं:-

इकाई का नाम	धनराशि (रू.लाख में)
मेसर्स श्री भागेश्वरी पेपर्स प्रा0लि0, मुजफ्फरनगर(वित्तीय वर्ष 2016-17)	41.93
योग-	41.93 (रूपये इकतालिस लाख तिरानवे हजार मात्र)

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक-6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012-30-निवेश/ऋण, में प्राविधानित धनराशि रू0 180.00 करोड़ (रू0 एक सौ अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपर्युक्त 01 पात्र इकाई को ब्याज मुक्त ऋण वितरण हेतु धनराशि रू. 41.93 लाख (रू0 इकतालिस लाख तिरानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये पात्र इकाई के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी। आहरित धनराशि उ0प्र0वित्तीय निगम के बैंक खाते में जमा नहीं की जाएगी।
2- धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित आयुक्त एवं निदेशक द्वारा उ0प्र0वित्तीय निगम को उपलब्ध कराये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा। इस उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर के माध्यम शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- 2012 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हों।

5- यह धनराशि ऐसी पात्र नई इकाइयों, जिनके प्रत्यावेदन उ0प्र0वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदनों के यथाक्रम में वरीयतानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

6- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0वित्तीय निगम पर होगा। उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।

7- उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित इकाई द्वारा ऋण की अदायगी किये जाने के 02-03 कार्य दिवसों के अन्दर ही धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

8- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।

9- स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिकता के आधार पर ही किया जाएगा।

10- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर, द्वारा किया जाएगा। उ0प्र0वित्तीय निगम को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

11- उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जायेगी। प्रशासकीय विभाग ऋण की परिपक्वता अवधि के उपरान्त सम्बन्धित इकाई से ऋण की वसूली सुनश्चित कर राजकोष में जमा करायेगें।

12- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020, 07.04.2020, 11.04.2020 व 18.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

13- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिये स्वीकृत किया गया है।

14- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाईयों की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इस बिन्दु पर भी संतुष्ट हो लेंगे कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 के अन्तर्गत उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा इकाईयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक-6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012-30-निवेश /ऋण के नामे डाला जाएगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-913/दस-2020 दिनांक 28.12.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या-42/2020/2728(1)/77-6-2020-4(बजट)/16टीसी,तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर को पत्रांक-1635/विनि/वियोवि/2020-2021 दिनांक 10-04-2020, एवं पत्र संख्या-16/विनि/वियोवि/2020-2021 दिनांक 11.09.2020 के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।
5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग,उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9- नियोजन अनुभाग-1/4
10- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।